न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

–रीडर/ 2022/478 दिनांक :– 15.6.2022

मुकदमा नंबर 32/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्रीमती छोगी पत्नी श्री उम्मेदाराम जाति चौधरी निवासी रेवाडा जेतमाल तहसील पचपदरा ।		1. वीरमाराम पुत्र चिमनाराम जाति चौधरी निवासी राजेश्वर नगर थोब तहसील पचपदरा। 2. मफाराम पुत्र पनाराम जाति भील निवासी रेवाडा जेतमाल तह0 पचपदरा 3. सिमरथाराम पुत्र पुरखाराम जाति चौधरी निवासी रेवाडा जेतमाल तह0 पचपदरा। 4. सोमती पत्नी अणदाराम जाति चौधरी निवासी रेवाडा जेतमाल तह0 पचपदरा। 5. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

दिनाक :– 15.6.2022

आदेश

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा रेवाडा जेतमाल पटवारी क्षेत्र रेवाडा, भू–निरीक्षक थोब तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 386/88 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

दिनांक :– 15/6/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/479

प्रतिलिपि :– तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही [illegible] समक्ष फर्द मौका, [illegible] रूप से दर्ज कर फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान [illegible] भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:12:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा